



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2447]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2011/पौष 10, 1933

No. 2447]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2011/PAUSA 10, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2011

New Delhi, the 31st December, 2011

का.आ. 2927(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री ए. सूर्यनारायण नायडु, न्यायिक सदस्य, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर सिंह पान्टा के अध्यक्ष के पद से त्याग-पत्र देने के कारण रिक्त हुए पद पर, 1 जनवरी, 2012 से पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने की तारीख तक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

S.O. 2927(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Green Tribunal Act, 2010, the Central Government hereby authorizes Mr. Justice A. Suryanarayan Naidu, Judicial Member, National Green Tribunal to act as the Chairperson of the National Green Tribunal, as the vacancy in the office of Chairperson has fallen vacant due to resignation of Mr. Justice Lokeshwar Singh Panta, with effect from 1st January, 2012 until the date on which a new Chairperson is appointed in accordance with the provisions of the aforesaid Act.

[फा. सं. 17(2)/2010-पीएल/एनजीटी]

[F.No.17(2)/2010-PL/NGT]

अतुल कौशिक, संयुक्त सचिव

ATUL KAUSHIK, Jt. Secy.